तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12.03.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप0 अप्रार्थी संख्या 55 के अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने बाबत् पेश किया गया था जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 55 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृर्षित करवाया जिसके अनुसार ग्राम झालामण्ड में प्रार्थी की भूमि के पड़ौस स्थित खसरान् में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित होने तथा हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का ग्राम झालामण्ड में स्थापित होने की वजह से उस क्षेत्र के जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले एजेन्टो की हलचल बढ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 उक्त जमीन पर दलालों को लेकर आया तथा विशेष भू–भाग को अपना होना बताकर बेचान करने पर उतारू है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रकरण की बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पाया कि प्रार्थना–पत्र 212 के नोटिस तामिली के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ~~इजलास~~ द्वारा आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया। न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने हक हिस्से तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम झालामण्ड के खेत खसरा नम्बर 423, 424 में निहित अपने हक हिस्से तक की मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.03.16 11:49:43 IST
Reason: SelfAttested